संचिका सं0–09/दा0खा0 (मास्टर परिपत्र)–XII–81/2025–......1716......(9)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता, बिहार।

पटना–15, दिनांक–...03/07/26

विषय :– मृत जमाबंदी रैयतों के उत्तराधिकारियों के नाम से दाखिल–खारिज की कार्रवाई प्रारंभ करने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम (समय–समय पर यथा संशोधित), 2011 तथा बिहार भूमि दाखिल–खारिज (समय–समय पर यथा संशोधित) नियमावली, 2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त/अंतरित/अर्जित भूमि की दाखिल–खारिज की कार्रवाई की जाती है। इसके तहत जमाबंदी रैयत के मृत होने पर उनके वैध उत्तराधिकारियों के नाम से उक्त भूमि का नामांतरण/दाखिल–खारिज की कार्रवाई का प्रावधान है।

2. वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत जमाबंदीदार रैयत की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा अपने नाम से दाखिल–खारिज (Mutation) कराने हेतु अंचल कार्यालय में स्वयं आवेदन प्रस्तुत करना होता है। सम्यक जानकारी का अभाव अथवा उदासीनता के कारण दाखिल–खारिज के ऐसे मामलों में अत्यधिक विलंब होता है, जिससे न केवल पारिवारिक विवाद एवं अनावश्यक मुकदमा (Litigation) की स्थिति उत्पन्न होती है, बल्कि जमाबंदी अद्यतन नहीं होने के कारण रैयतों को सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड़ता है।

3. बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम की धारा–4(7) में यह प्रावधानित है कि – "बंटवारा, निर्वसीयत या वसीयती उत्तराधिकार अथवा किसी अन्य उपाय/लिखत द्वारा किसी होल्डिंग या उसके भाग में हित के अर्जन के संबंध में, उस क्षेत्र का कर्मचारी विहित रीति से जानकारी प्राप्त करेगा तथा इसकी सूचना विहित प्रपत्र में अंचल अधिकारी को देगा।"

इसी प्रकार बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012 के नियम–4(3) के अनुसार "क्षेत्र का कर्मचारी अपने क्षेत्राधिकार के अधीन ग्रामों का साप्ताहिक दौरा करेगा तथा लोगों से सम्पर्क स्थापित करेगा एवं भूमि के अंतरण, बंटवारा, निर्वसीयती या वसीयती उत्तराधिकार या किसी होल्डिंग या उसके भाग का किसी अन्य साधन/ लिखत द्वारा हित के अर्जन के मामलों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करेगा तथा प्रपत्र – VIII में संधारित होनेवाली सम्पर्क पंजी में जानकारी को अभिलिखित करेगा। वह, जहाँ तक सम्भव हो, ऐसी सूचना देने वाले व्यक्तियों का हस्ताक्षर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कर्मचारी किसी व्यक्ति के किसी होल्डिंग उसके भाग में ऐसे अधिकार के अर्जन की सूचना प्रपत्र– IX में अंचल अधिकारी को देगा।"

4. उक्त प्रावधानों के आलोक में आम नागरिकों एवं हितबद्ध रैयतों को सुविधा प्रदान करने तथा जमाबंदी पंजी को अद्यतन करने के उद्देश्य से उत्तराधिकार के मामलों में अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप दाखिल–खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे मामलों में दाखिल–खारिज की कार्रवाई हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना है :–

(i) उत्तराधिकार के मामलों की पहचान एवं संबंधित जमाबंदी की जांच– सभी राजस्व कर्मचारी अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राजस्व ग्राम/वार्ड का भ्रमण कर उत्तराधिकार के मामलों की सूची तैयार करेंगे। पंचायत स्तर पर संधारित जन्म–मृत्यु निबंधन पंजी, चौकीदारी रिपोर्ट, अथवा स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधिक उत्तराधिकारियों अथवा स्थानीय व्यक्तियों से प्राप्त मौखिक अथवा लिखित सूचना को भी आधिकारिक संज्ञान का आधार माना जाएगा।

राजस्व कर्मचारी उत्तराधिकार के मामलों से संबंधित जमाबंदियों की जांच कर आश्वस्त हो लेंगे की जमाबंदी पूर्णरूपेण ऑनलाइन की गई है अथवा नहीं। अपूर्ण जमाबंदी के मामलों में आवश्यक अभिलेख/दस्तावेज के आधार पर ROR updation मॉड्यूल के माध्यम से जमाबंदी अद्यतीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(ii) **दाखिल–खारिज की प्रक्रिया** — मृत जमाबंदी धारकों की पहचान के उपरांत राजस्व कर्मचारी उनके वैध उत्तराधिकारियों/वंशजों से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कागजात यथा– वंशावली, बंटवारा हेतु सहमति इत्यादि प्रस्तुत करने का अनुरोध करेंगे। उत्तराधिकारियों द्वारा 07 (सात) दिनों के अन्दर आवश्यक कागजात समर्पित करने पर बटवारा आधारित दाखिल–खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में केवल उत्तराधिकार आधारित नामांतरण की कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी। ऐसी स्थिति में राजस्व कर्मचारी मृत जमाबंदी धारकों की वंशावली सक्षम प्राधिकार के स्तर से प्राप्त करेंगे।

राजस्व कर्मचारी संबंधित रैयत का पूर्ण विवरण, यथा–जमाबंदी संख्या, खाता, खेसरा, रकबा, थाना नंबर एवं जमाबंदी रैयत के मृत होने की तिथि अंकित करते हुए प्रतिवेदन अंचलाधिकारी को समर्पित करेंगें। राजस्व कर्मचारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी ऑनलाइन पोर्टल पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) का चयन करते हुए दाखिल–खारिज वाद दर्ज करेंगे।

राजस्व कर्मचारी की सूचना के आधार पर प्रारंभ की गई दाखिल–खारिज/नामांतरण की समस्त प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से 'बिहार भूमि' पोर्टल के मॉड्यूल पर निष्पादित की जाएगी। **उत्तराधिकारियों की लिखित सहमति/बंटवारानामा के आधार पर उनके नाम से अलग–अलग जमाबंदी कायम की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में सभी वैध उत्तराधिकारियों के नाम संयुक्त जमाबंदी कायम की जा सकेगी।** इस प्रकार की कायम की गई संयुक्त जमाबंदी का यह तात्पर्य कदापि नहीं होगा कि संयुक्त खातेधारों का उसमें समान हिस्सा है। हिस्सेदारी के संबंध में सक्षम न्यायालय के आदेश/आपसी सहमति/बंटवारानामा द्वारा ही कोई निर्णय लिया जायेगा।

(iii) **समीक्षा एवं अनुश्रवण**— सभी अंचल अधिकारी अपने अधीन राजस्व कर्मचारियों के लिए प्रत्येक मौजा/वार्ड के लिए उत्तराधिकार एवं सूचना आधारित दाखिल–खारिज हेतु प्रति माह एक लक्ष्य निर्धारित करेंगें। अंचल अधिकारी समय–समय पर अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्वतः संज्ञान लेकर इस प्रकार के मामलों की समीक्षा भी करेंगे तथा आम रैयतों को भी उत्तराधिकार आधारित दाखिल–खारिज के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही, राजस्व कर्मचारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में सूचना आधारित दाखिल–खारिज के मामलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

5. प्रत्येक राजस्व कर्मचारी को अपने अधीन प्रत्येक मौजा में प्रति माह न्यूनतम पांच मृत जमाबंदी धारकों की जमाबंदी इस प्रक्रिया के अनुरूप अद्यतन करना अनिवार्य होगा, जबतक की उक्त मौजे के सभी मृत जमाबंदी धारकों की जमाबंदी अद्यतन न हो जाय। राजस्व कर्मचारी के लिए निर्धारित मासिक लक्ष्य को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी संबंधित अंचल अधिकारी की होगी।

6. सभी अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता अपने–अपने जिलों/अनुमंडलों में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अंचलवार सूचना आधारित उत्तराधिकार के लम्बित वादों की विस्तृत समीक्षा करेंगे। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अतः अनुरोध है कि मृत जमाबंदी रैयतों के उत्तराधिकारियों के नाम सूचना आधारित दाखिल–खारिज की कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु अपने स्तर से सभी संबंधितों को निदेशित किया जाय। साथ ही, समय–समय पर इसकी समीक्षा करते हुए विभाग को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 7/26

सचिव

D:\Shail secon-9\2026\Dhakhil-Kharij Letter-2026.doc-4

ज्ञापांक:–09 / दा0खा0 (मास्टर परिपत्र)–XII–81 / 2025–...1716...(9) / रा0, पटना–15, दिनांक– 03/07/26

प्रतिलिपि:– सभी अपर समाहर्त्ता / सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता / सभी अंचल अधिकारी / सभी राजस्व अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांक:–09 / दा0खा0 (मास्टर परिपत्र)–XII–81 / 2025–...1716...(9) / रा0, पटना–15, दिनांक– 03/07/26

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांक:–09 / दा0खा0 (मास्टर परिपत्र)–XII–81 / 2025–...1716...(9) / रा0, पटना–15, दिनांक– 03/07/26

प्रतिलिपि:– आई0टी0 / मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।